मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 11-18/2003/1-10 भोपाल, दिनांक 31-10-2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश.
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किया जाना.

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12(1) के अनुसार लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त द्वारा जांच कर प्रकरण सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अपने निष्कर्ष तथा सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती हैं.

2. उपरोक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी उसे अग्रेषित की गई रिपोर्ट का परीक्षण कर उस रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर यथास्थिति से लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को सूचित करने का प्रावधान है, इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं.

3. लोकायुक्त संगठन द्वारा शासन का ध्यान इस ओर पुनः आकर्षित किया है कि विभागों द्वारा लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं की जाती है एवं आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से कई बार वर्षों तक अनुशंसित कार्यवाही विभागों द्वारा नहीं की जाती है जिससे लोकायुक्त संगठन की जांच और उनकी अनुशंसाएं निष्फल हो जाती हैं.

4. अतः शासन द्वारा पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि लोकायुक्त द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं तथा प्रतिवेदनों में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जाएं तथा सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो.

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लोकायुक्त की अनुशंसा/सिफारिश पर कार्यवाही में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए.

हस्ता./-
(सुब्रतो बनर्जी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.